दूरभाष:26175176
फैक्स: 26162093
E-mail: ddhts-exam-dol@nic.in

संख्या-30/2/2018/उ.नि.(परीक्षा)/ 784

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
हिंदी शिक्षण योजना
उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
दिनांक: 3-4-2018

सेवा में,

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष

विषयः- हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा जुलाई, 2018 की समय-सारणी तथा प्रणाली में प्रशिक्षार्थियों का विवरण अपलोड करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी टंकण /आशुलिपि की परीक्षाएँ परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष जुलाई माह के प्रथम/दूसरे सप्ताह में आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर घोषित किए जाते हैं ।

जुलाई, 2018 में आयोजित की जाने वाली वाली हिंदी टंकण /आशुलिपि परीक्षा के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं उसकी मॉनीटरिंग को चुस्त बनाने के लिए 'हिंदी भाषा हिंदी शब्द संसाधन/टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली' तैयार की गई है । जनवरी, 2018 से परीक्षा व्यवस्था को भी इससे जोडने का निर्णय लिया गया है । अत: सभी क्षेत्रीय उप निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 10 जनवरी, 2018 के प0सं0-12/6/2016-हि.शि.यो.(मु0)/127 के अनुसार अब परीक्षा संबंधी कार्य निम्नवत किए जाएं:-

1. विभिन्न प्रशिक्षण पाठयक्रमों के प्रशिक्षार्थियों का विवरण सहायक निदेशक द्वारा प्रणाली में भरा जाए तत्पश्चात् क्षेत्रीय उप निदेशक/टंकण/आशु0/पत्राचार के माध्यम से परीक्षा शाखा में भेजा जाए । नियमित प्रशिक्षार्थियों के मैनुअल परीक्षा फार्म अब परीक्षा शाखा द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे । केवल उन्हीं कार्मिकों की परीक्षा होगी जिनका विवरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली पर भरा होगा ।
2. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/टंकण/आशु0/पत्राचार स्वयं इसकी मॉनीटरिंग करके यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ प्रत्येक सहायक निदेशक (टंकण/आशु) द्वारा पूरा डाटा उक्त प्रणाली में सही भरा गया है ।
3. प्रणाली के अंतर्गत सहायक निदेशक (टंकण/आशु) द्वारा प्रशिक्षार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि जुलाई सत्र में 17 अप्रैल, 2018 निर्धारित की गई है ।

टंकण/आशु0/पत्राचार प्रशिक्षार्थियों का विवरण अपलोड करने के उपरांत तत्काल उप निदेशक (परीक्षा) को ई मेल द्वारा सूचित करें । अंतिम तिथि निकल जाने के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी का विवरण भरा नहीं जा सकेगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित सहायक निदेशक (टंकण/आशु) तथा उनकी मॉनीटरिंग करने वाले अधिकारियों की होगी ।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं ई मेल आई.डी. निम्नवत है :-

(1) उप निदेशक (मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 ddhts-nc-dol@nic.in	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
(2) उप निदेशक (दक्षिण) हिंदी शिक्षण योजना, ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090 ddhts-south-dol@nic.in	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
(3) उप निदेशक (पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना, 18वां तल, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020 ddhts-east-dol@nic-in	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एवं अंडमान-निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
(4) उप निदेशक (पश्चिम) हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय सदन, सी. विंग, छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर, नवीं मुंबई-400614 ddhts-west-dol@nic.in	महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव एवं दादरानगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
(5) उप निदेशक (पूर्वोत्तर) हिंदी शिक्षण योजना, पू.सी.रेलवे मुख्यालय, मालीगांव, गुवाहाटी-II (असम) htsghy@gmail.com	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित कार्यालयों के लिए
(6)उप निदेशक (टं/आ) हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 chti1035@nic.in	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए

(7) उपनिदेशक केवल जुलाई की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए

(पत्राचार पाठ्यक्रम)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011
adppracharchti-dol@nic.in

4 नियमानुसार परीक्षार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 25-25 अंक अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है । के.हि.प्र.संस्थान के दिनांक 11.9.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं0-22011/267/2015-केहिप्रसं/अ0वि0(टं/आ0)/3118 के अनुसार प्रश्न-पत्र द्वितीय (गति परीक्षा) में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 श.प्र.मि.(9000KDPH) की गति होगी । किसी एक प्रश्न पत्र में 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को पूरक घोषित किया जाएगा ।

5 हिंदी टंकण/आशु0 के '5 दिवसीय कक्षा में पढाई के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम **(Validation Course)'** के प्रशिक्षार्थियों का विवरण सहायक निदेशक द्वारा अपलोड किया जाएगा । क्षेत्रीय उप निदेशक/टंकण/आशु0/पत्राचार माध्यम से प्रमाणित करके उप निदेशक (परीक्षा) को ई मेल द्वारा सूचित किया जाए ।

6. प्रशिक्षार्थी के परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी कार्रवाई क्षेत्रीय उप निदेशकों टं/आशु/पत्राचार के माध्यम से की जाएगी जिसकी सूचना क्षेत्रीय उपनिदेशकों टं/आशु/पत्राचार द्वारा परीक्षा शाखा को ई मेल द्वारा दी जाएगी और केंद्र परिवर्तन हेतु नया प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा । उक्त प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा । उसके पश्चात केंद्र परिवर्तन हेतु दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

7. **सहायक निदेशकों द्वारा प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क का विवरण भरने के पश्चात ही उप निदेशक (परीक्षा) द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे।**

8. आबंटित केंद्र तथा प्रवेश-पत्र परीक्षा स्कंध द्वारा सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/टंकण/आशु0/पत्राचार को मेल किए जाएंगे ।

9. केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए हिंदी टंकण/आशुलिपि परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए रू0-100/- परीक्षा शुल्क देय है।

10. परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्रॉफ्ट उप निदेशक(परीक्षा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा । डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी प्रणाली में ही भरा जाएगा तथा परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकृत किया जाएगा अन्यथा परीक्षा शाखा द्वारा उनके प्रवेश-पत्र नहीं भेजे जा सकेंगे । **परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website www.onlinesbi.com पर निम्नलिखित स्टैप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है ।**